INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 11 | DECEMBER - 2021

" डॉ अम्बेडकर के विचारो के विभिन्न आयाम "

डॉ. गुंजन त्रिपाठी
एसोसिएट प्रोफेसर , राजनीति विज्ञान, मु. ला एंड ज. ना. खेमका गर्ल्स कॉलेज, सहारनपुर.

डॉ भीमराव अम्बेडकर जो इतिहास मे बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, 20वी शताब्दी के एक श्रेष्ठ चिन्तक, दूरदर्शी, यशस्वी वक्ता, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे।1)अम्बेडकर का चिन्तन और दर्शन यदि सही तरीके से स्वीकार किया गया होता तो हो सकता था कि भारत मे एक सामाजिक क्रांति आती। यद्यपि राजनीतिक समानता एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता की बात कही जाती रही किन्तु सामाजिक रूप से इस बात पर कभी अमल नही हुआ। अम्बेडकर का सारा दर्शन सामाजिक सुधार, राजनीतिक चेतना और आध्यात्मिक जागरण से भरा है। वह जनता की आर्थिक दशा के बारे मे भी सोचते रहते थे। मानव-अधिकारो , स्त्री-पुरुष के समान अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय और समाज मे चौमुखी शान्ति मे उनकी आस्था थी।2)

अम्बेडकरवाद भारत मे एक जीवन शक्ति है। यह दलित आन्दोलन की विचाराधारा को पारिभाषित करती है और कुछ अर्थों मे बडी सीमा तक जाति विरोधी आन्दोलनो के अर्थों को भी समझाती है। किन्तु जाति और पूंजीवाद मे निहित सामाजिक और आर्थिक शोषण (सामान्य आन्दोलन विचाराधारा मे अम्बेडकरवाद की यह पमुख विशेषता है।) की प्रक्रिया को, भारत की यथार्थता मे, व्यक्तिगत रूप मे सक्रिय सिद्धांतशास्त्री की जटिल व्याख्याओ से अलग कर देखना होगा। 3)

सामाजिक और आर्थिक शोषण के अन्तर्गत डॉक्टर अम्बेडकर इस कटु सत्य से अवगत थे कि जब तक वह अछूत समझे जाते रहेंगे, समाज मे उन्हे उचित स्थान नही मिलेगा। उन्होंने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू धर्म के चतुवर्ण से उपजी अस्पृश्यता ही तथाकथित दलित वर्ग के पिछड़ेपन का मूल कारण है। जब तक इस अस्पृश्यता को नही मिटाया जाता, सामाजिक समानता का कोई प्रश्न ही नही उठता। डा॰ अम्बेडकर का विरोध केवल छुआछूत के विरुद्ध नही था, बल्कि वह भारत भूमि से जातिवाद और वर्णभेद को ही मिटा देना चाहते थे। 4)

अम्बेडकर की मान्यता रही है कि दलितो की उपेक्षित, शोषित एवं असहाय स्थिति का मूल कारण है हिन्दू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था है ।इसे तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक इन्हें संपोषित करने वाली हिन्दू वैचारिकी एवं हिन्दू मान्यतओं को लोगो के समक्ष अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण एवं अनुचित न ठहराया जाए। 5

ब्राह्मणवाद आधारित चतुवर्ण सिद्धांत को डा॰ अम्बेडकर जातिवाद और वणभेद का सबसे बड़ा कारण मानते थे। उनके अनुसार चतुवर्णे सिद्धांत देश की पराजय के लिए ही उत्तरदायी नही है वरन् वह समाज के पतन के लिए भी उत्तरदायी है। अतः देश की स्वतंत्रता और उन्नति के लिए उसका उन्मूलन आवश्यक ही नही, अनिवार्य है। उन्होंने कहा, " जब तक हम इस रुढिवादी समाज-व्यवस्था के स्थान पर एक स्वतंत्रता, समानता और बन्धुतव आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना नही कर लेतै, तब तक हम न तो स्वतन्त्रता हासिल कर सकते है और न विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। हमारी दासता और विभिन्न सामाजिक बुराइयो का यह परम्परावादी समाज तन्त्र एक बहुत बड़ा कारण है और जब तक हम इसका उन्मूलन कर एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नही कर लेते, तब तक न हमारी मुक्ति सम्भव है और न हमारी उन्नति ।6

ये तभी संभव है जब दलित वर्ग स्वयं संगठित हो, दलितों के बीच स्वतंत्र नेतृत्व का विकास हो तथा सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। डा॰ अम्बेडकर ने कहा था कि जातिवादी हिन्दू का हृदय उसकी जमीन, संपति एवं सामाजिक-राजनीतिक सत्ता में बिखरा हुआ है। अतः उनके सामाजिक-राजनीतिक एकाधिकार को समाप्त किए बिना उनका हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। दलितों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है दलितों का सशक्तिकरण। 7

इस प्रकार डॉ अम्बेडकर को दलित वर्ग का मसीहा या पैगंबर उचित ही कहा गया है। क्योंकि वे ही एकमात्र प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष किया और सवर्णों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। किन्तु दलितो के पक्षधर होते हुए भी डॉ अम्बेडकर संकुचित मनोवृत्ति के नही थे । वे उदारवादी विचाराधारा के समर्थक थे ।उन्होने स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृतव व व्यक्ति की गरिमा के मूल्यों को अपनाया था । इसी उदारवादी भावना से उन्होंने दलितो के उद्घार का काम किया था। वे सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते थे । धर्म के संबंध मे भी वे उदारवादी थे। वे कहते थे कि "धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नही " ।

वह ऐसे धर्म के प्रवक्ता थे जो नैतिकता के उन सार्वभौम सिद्धांतो पर आधारित हो। जो सभी लोगो, चाहें वह किसी देश, काल, थर्म व जाति से संबंधित हो, समान रूपेण पालनीय तथा प्रासंगिक है। वह युक्ति पर आधारित हो तथा समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृतव सिद्धांत इसके लिए सहज धर्म हो।

किन्तु जहाँ तक पंथ अथवा धर्म की बात है, वह बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत है समानता । जब वह अपने दो लाख अनुयायियों के अनुसार बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे, उस अवसर पर उन्होने कहा था कि अरे भिक्षुओ, तुम अलग अलग जाति के हो और विभिन्न देशो से आए हो । जिस तरह बड़ी नदियाँ विशाल सागर में गिरने पर अपनी पहचान खो देती हैं, उसी तरह मेरे भाईयों, जब ये चार जातियाँ- क्षत्रिय, वैश्य, ब्राहमण एवं शूद्र भगवान बुद्ध द्वारा प्रस्तुत किए गए मत तथा अनुशासन को मानने लगती है तथा वे अपनी जाति और श्रेणी के अलग अलग नाम त्याग कर एक ही समाज के सदस्य बन जाती है। यही भगवान बुद्ध के शब्द है ।8

अम्बेडकर की राष्ट्रवादी सोच भी बहुत व्यापक थी । वे केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित न होकर व्यापक रूप से सामुदायिक स्वतन्त्रता की बात करते थे । अम्बेडकर ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जहाँ सभी जाति – समाज और समुदाय के लोग जाति-वंश, धर्म और पद स्थिति की दृष्टि से समान होगे । सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा मिलनी चाहिए । इस प्रकार अम्बेडकर का राष्ट्र अखण्ड और न्याय प्रिय है और इसी कारण अम्बेडकर एक उदारवादी राष्ट्रवाद की स्थापना के पक्षधर थे ।9.वे देश रियासतों के माध्यम से भारत का सशक्त एकीकरण चाहते थे।

डा॰ अम्बेडकर की अध्ययन मे भी गहरी रुचि थी । अध्ययन के लिए उनका प्रेरक वाक्य था- कम खाओ, अधिक पढो । इसलिए वे अपनी दैनिक आवश्यकताओ को त्याग कर पुस्तके खरीदते थे । वे कहा करते थे कि, " मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसे समाज ने बहिष्कृत किया, उसे इन पुस्तको ने अपने हृदय मे स्थान दिया है। 10.डॅ अम्बेडकर को दृढ विश्वास था कि जब तक दलितों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, उनकी स्थिति मे सुधार नही हो सकेगा। उन्होंने कहा "शिक्षा समस्त उत्थान का मूल मंत्र है।"उन्होंने 'अन्त्यज संघ 'की भी स्थापना की जो दलित विद्यार्थियो को वजीफा देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता था। 11

डॉ अम्बेडकर ने संविधान सभा के प्रारुप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया । किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना उसका महत्वपूर्ण अंग होती है और संविधान के उद्देश्य पर आधारित होती है । भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डॉ अम्बेडकर ने पूरी एकाग्रता, विवेक और मानवीय मूल्यो को ध्यान में रखकर निर्मित किया था । संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से संविधान द्वारा सभी नागरिको हेतु सामाजिक न्याय एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता एवं मानवीय गरिमा हेतु वचनबद्धता प्रदर्शित करना। वे संविधान में उन प्रावधानों की व्यवस्था कराने में सफल रहे जो दलित समाज के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओ को दूर करने, दलितों की स्वतंत्र पहचान बनाने, अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करने एव अपना बहुमुखी विकास करने में दलितों को सक्षम एवं समर्थ बना सके। ऐसे प्रावधानो मे प्रमुख रहे छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करना। बिना किसी भेदभाव के दलितों को स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व के अधिकार का प्रयोग करने हेतु संविधान द्वारा विशेष सुविधा और अवसर उपलब्ध कराना। 12.वास्तव मे स्वतंत्र मानवीय मूल्यो की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान मे हुयी है.

इस प्रकार डॉ अम्बेडकर के विचारो के विभिन्न आयामो को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आधुनिक भारत के निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नही जा सकता ।

संदर्भ

1: प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिन्तक, अवस्थी और अवस्थी , रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर पृष्ठ सं 230
2: भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, सी एम सरस्वती, मीनाक्षी प्रकाशन, पृष्ठ संविधान 253
3: दलित एवं प्रजातांत्रिक क्रान्ति ,गेलओमवेट, अनुवादक नरेश भार्गव, पृष्ठ सं 217
4: उपर्युक्त। पृष्ठ सं 234
5. भारतीय राजनीति विज्ञान, शोध पत्रिका, जनवरी-जून,2009.पृष्ठ सं 129
6.राजनीतिक चिन्तन, जीवन मेहता, साहित्य पब्लिकेशन, पृष्ठ सं 221
7. भारतीय राजनीति विज्ञान, शोधपत्रिका,जनवरी-जून 2009 ,पृष्ठसं 130:
8. भारतीय राजनीतिक चिन्तन एवं विचारधारा, पी के दास, राज पब्लिकेशन, पृष्ठ सं 212
9: उपर्युक्त, पृष्ठ सं 214-215

10: भारतीय राजनीतिक विज्ञान, शोध पत्रिका, जनवरी-दिसंबर 2010

11:भारतीय राजनीति विज्ञान, शोध पत्रिका,जुलाई-दिसम्बर 2009, पृष्ठ सं566.

12; भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जनवरी-जून, पृष्ठ सं 130.